संशोधन

संख्या- 59 /2024 / 58 /चार-2024-1783046

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा) के भवन के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 48 /2024 / 238 /चार-2024-1783046 दिनांक 20 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 48 /2024 / 238 /चार-2024-1783046 दिनांक 20 जनवरी, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 48 /2024 / 238 /चार-2024-1783046 दिनांक 20 जनवरी, 2024 के प्रस्तर-2 में उप प्रस्तर- (6) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(6) स्वीकृत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था – उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 48 /2024 / 238 /चार-2024-1783046 दिनांक 20 जनवरी, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 59 /2024/ 58 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान (मथुरा)।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, जी-4/5 बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, 155, जयराम बाग, दयालबाग, आगरा।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in